"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी 2018—पौष 22, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, भा.प्र.से. (2000), आयुक्त-सह-संचालक, पंचायत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् सचिव, माननीय राज्यपाल के पद पर पदस्थ करता है.

श्री अशोक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. के राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, भा.प्र.से. द्वारा सचिव, माननीय राज्यपाल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री अशोक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. सचिव, मान. राज्यपाल के पद से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

2. श्री तारन प्रकाश सिन्हा, भा.प्र.से. (2012), उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संचालक, पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2017

क्रमांक ई-1-8/2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 आबंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारियों की 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, रिक्ति उपलब्ध होने पर, दिनांक 14-11-2017 को छानबीन समिति (Screening Committee) की अनुशंसा अनुसार, सेवा के अपेक्स वेतनमान (Apex Scale) रु. 80000/- (निश्चित) (पुनरीक्षित-Pay Matrix Level-17) में तत्काल प्रभाव से पदोन्नति प्रदान करता है.

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम	प्रमुख सचिव, गृह, जेल, परिवहन विभाग एवं परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार.	अपर मुख्य सचिव, गृह, जेल, परिवहन विभाग एवं परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार.
2.	श्री सी. के. खेतान	महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर.	अपर मुख्य सचिव, वन विभाग (श्री आर. पी. मण्डल द्वारा अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से).
3.	श्री आर. पी. मण्डल	प्रमुख सचिव, वन विभाग एवं प्रमुख सचिव, श्रम विभाग (अति. प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त एवं महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), रायपुर का अति. प्रभार (दिनांक 30-11-2017 को श्री एम. के. राउत के से.नि. होने पर).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-37-05/तीन (एक)-3/पंचा.निर्वा./कार्यक्रम/2017/3689, दिनांक 20-11-2017 एवं एफ 54-08/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2017/3686 दिनांक 20-11-2017 द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार परिशिष्ट-1 एवं 2 में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 20 दिसंबर, 2017, दिन बुधवार को मतदान सम्पन्न कराया जाएगा.

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिशिष्ट-1 एवं 2 में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में दिनांक 20 दिसंबर, 2017 दिन बुधवार को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

3. क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5 राज्य शासन एतद्द्वारा, यह भी घोषित करता है कि, परिशिष्ट-1 एवं 2 में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में दिनांक 20 दिसंबर, 2017, दिन बुधवार को मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, उप-सचिव.

परिशिष्ट-1

त्रिस्तरीय पंचायतों के 30 जून 2017 की स्थिति में जिले से प्राप्त रिक्त पदों की जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	जिला पंचायत सदस्य	जनपद पंचायत सदस्य	सरपंच	पंच	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बिलासपुर	—	—	1	7	8
2.	मुंगेली	—	—	9	8	17
3.	जांजगीर-चांपा	—	—	11	28	39
4.	कोरबा	—	—	3	16	19
5.	सूरजपुर	—	—	4	27	31
6.	बलरामपुर	—	1	6	12	19
7.	सरगुजा	—	—	2	22	24
8.	कोरिया	—	—	—	11	11
9.	रायगढ़	—	4	7	34	45
10.	जशपुर	—	—	1	7	8
11.	रायपुर	—	—	3	19	22
12.	बलौदाबाजार	—	—	5	15	20
13.	गरियाबंद	—	—	3	15	18
14.	महासमुन्द	—	—	2	19	21
15.	धमतरी	—	—	6	8	14
16.	बेमेतरा	—	—	5	19	24
17.	दुर्ग	—	—	2	12	14
18.	बालोद	—	—	10	9	19
19.	राजनांदगांव	—	1	10	28	39
20.	कबीरधाम	—	—	9	27	36
21.	कोण्डागांव	—	2	5	132	139
22.	बस्तर	—	—	—	7	7
23.	नारायणपुर	—	—	1	2	3
24.	कांकेर	—	—	9	74	83
25.	दन्तेवाड़ा	—	—	5	17	22
26.	सुकमा	—	—	—	2	2
27.	बीजापुर	—	1	1	1	3
	कुल योग	**0**	**9**	**120**	**578**	**707**

परिशिष्ट-2

क्र. (1)	जिला (2)	नगरपालिकाओं के नाम (3)	वार्ड क्रमांक (4)
1.	सूरजपुर	नगरपालिका परिषद्, सूरजपुर	11
		नगर पंचायत, प्रतापपुर	8
2.	बलरामपुर	नगर पंचायत, राजपुर	15
3.	गरियाबंद	नगर पंचायत, फिंगेश्वर	1, 15
4.	बालोद	नगर पंचायत, डौण्डी	14, 15
		नगर पंचायत, चिखलाकसा	1, 14, 15
		योग	**10**

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 11-52/2017/सात-1.—छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम भाग-4 नियम 10 की कंडिका (ढढ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा रायपुर जिला के नगर-तिल्दा व नेवरा स्थित राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों का नाम "तिल्दा व नेवरा" के स्थान पर "तिल्दा-नेवरा" (अंग्रेजी में-Tilda-Neora) करती है.

इस प्रस्ताव पर राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से साठ दिवस के अवसान पर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वह लिखित में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर को उक्त अवधि के पूर्व प्रस्तुत कर सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 1-6/2012/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा आर. शंगीता, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कारखाना निरीक्षक नियुक्त करता है.

No. F 1-6/2012/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notifications under this section, the Government of Chhattisgarh hereby appoints R. Shangeetha, Commissioner Labour, Chhattisgarh as the Chief Inspector of Factories and Inspector of factories for the state of Chhattisgarh.

नया रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-02/2016/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (सन् 1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा आर. शंगीता को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "श्रम आयुक्त" नियुक्त करता है.

No. F 10-2/2016/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (27 of 1960) and in supersession of all previous notification issued in this regard, the State Government hereby appoints R. Shangeetha, as the Labour Commissioner for the state of Chhattisgarh.

नया रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-02/2017/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक-XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा-34 के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य शक्ति आर. शंगीता, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए प्रयोग में लायी जावेगी.

No. F 10-02/2017/16.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act, 1947 (No. XIV of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby directs that powers under Section 34 of the said Act shall be exercisable by R. Shangeetha, Labour Commissioner Raipur for the State of whole Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. केरकेट्टा, अवर सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्रमांक/8021/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2.—प्रधानमंत्री फसल बीमा येाजना (PMFBY) अंतर्गत रबी 2016-17 हेतु जारी विभागीय अधिसूचना क्र. 15078 दिनांक 05-12-2016 के परिशिष्ट-1 में संचालनालय कृषि, छ.ग. के पत्र क्र. 578 दिनांक 28-08-2017 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. जिला-जांजगीर-चांपा, तहसील-चांपा, रा.नि.मं.-बम्हनीडीह, की तालिका सरल क्र. 4 ग्रा.पं.-रोहदा को विलोपित किया जाता है.

2. जिला-जांजगीर-चांपा, तहसील-नवागढ़, रा.नि.मं.-शिवरीनारायण की तालिका के सरल क्र. 3 में उल्लेखित ग्रा.पं.-मुड़पार के स्थान पर ग्रा.पं.-मुड़पार (प.ह.नं.-14) तथा स.क्र. 10 में उल्लेखित ग्रा.पं.-मुड़पार के स्थान पर ग्रा.पं.-मुड़पार (प.ह.नं. 20) पढ़ा जावे.

3. जिला-जांजगीर-चांपा, तहसील-नवागढ़, रा.नि.मं.-शिवरीनारायण की तालिका के सरल क्र. 16 ग्रा.पं.-देवरी को एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है.

4. जिला-जांजगीर-चांपा, तहसील-मालखरौदा, रा.नि.मं.-मालखरौदा की तालिका के सरल क्र. 9 ग्रा.पं.-बडेसीपथ को एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है.

5. जिला-मुंगेली, तहसील-मुंगेली, रा.नि.मं.-मुंगेली की तालिका के स. क्र. 42 में उल्लेखित ग्रा.पं.-लच्छनपुर (अ) के स्थान पर ग्रा.पं.-लच्छनपुर (अ), प.ह.नं. 21 तथा स.क्र. 83 में उल्लेखित ग्रा.पं.-लच्छनपुर (क) के स्थान पर ग्रा.पं.-लच्छनपुर (क) प.ह.नं. 53 पढ़ा जावे.

6. जिला-मुंगेली, तहसील-लोरमी, रा.नि.मं.-लोरमी की तालिका के स.क्र. 26 में उल्लेखित ग्रा. पं.-राम्हेपुर (N) के स्थान पर ग्रा.पं.-राम्हेपुर (N), प.ह.नं. 13 तथा स.क्र. 73 में उल्लेख ग्रा.पं.-राम्हेपुर (J) के स्थान पर ग्रा.पं.-राम्हेपुर (J) प.ह.नं. 38 पढ़ा जावे.

7. जिला-मुंगेली, तहसील-लोरमी, रा.नि.मं.-लोरमी की तालिका के स.क्र. 65 ग्रा. पं.-मुछेल को विलोपित किया जाता है.

8. जिला-बलौदाबाजार, तहसील-बलौदाबाजार, रा.नि.मं.-बलौदाबाजार की तालिका के स.क्र. 28 में उल्लेखित ग्रा.पं.-खम्हरीया के स्थान पर ग्रा.पं.-खम्हरीया (प.ह.नं. 16) तथा स.क्र. 36 में उल्लेखित ग्रा.पं.-खम्हरीया के स्थान पर ग्रा.पं.-खम्हरीया (प.ह.नं. 21) पढ़ा जावे.

9. जिला-बलौदाबाजार, तहसील-भाटापारा, रा.नि.मं.-भाटापारा की तालिका के स.क्र. 7 में उल्लेखित ग्रा.पं.-सेमरिया के स्थान पर ग्रा.पं.-सेमरिया (प.ह.नं.-4) तथा स.क्र. 27 में उल्लेखित ग्रा.पं. सेमरिया के स्थान पर ग्रा.पं.-सेमरिया (प.ह.नं.-20) पढ़ा जावे.

10. जिला-बालोद, तहसील-गुण्डरदेही, रा.नि.मं.-अर्जुन्दा की तालिका के स.क्र. 2 ग्रा.पं. पांगरी को विलोपित किया जाता है.

11. जिला-बालोद, तहसील-डोंडी, रा.नि.मं.-दल्लीराजहरा की तालिका के स.क्र. 59 ग्रा.पं.-घोटिया को विलोपित किया जाता है.

12. जिला-कवर्धा, तहसील-कवर्धा, रा.नि.मं.-रवेली की तालिका के स.क्र. 7 में उल्लेखित ग्रा.पं.-सिंघनपुरी के स्थान पर ग्राम-पं.-सिंघनपुरी (प.ह.नं.-1) तथा स.क्र. 8 में उल्लेखित ग्रा.पं.-सिंघनपुरी के स्थान पर ग्रा.पं.-सिंघनपुरी (प.ह.नं.-5) पढ़ा जावे.

13. जिला-कवर्धा, तहसील-कवर्धा, रा.नि.मं.-कवर्धा की तालिका के स.क्र. ग्रा.पं.-मड़मड़ा को विलोपित करते हुए स.क्र. 10 ग्रा.पं.-मड़मड़ा में निम्नानुसार उसके सम्मुख दर्शित फसल के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्रा.पं. (2)	गेहूं (सिं) (3)	गेहूं (असिं) (4)	चना (5)	अलसी (6)	सरसों (7)	आलू (8)	तिवड़ा (9)
10	मड़मड़ा	√	—	√	—	—	—	—

14. जिला-बरामपुर, तहसील-रामचन्द्रपुर, रा.नि.मं.-रामचन्द्रपुर की तालिका के स.क्र. 74 ग्रा.पं.-कृष्णनगर को विलोपित किया जाता है.

15. जिला-बेमेतरा, तहसील-नवागढ़, रा.नि.मं.-मारो की तालिका की तालिका के स.क्र. 38 ग्रा.पं.-नारायणपुर को विलोपित किया जाता है.

16. जिला-बेमेतरा, तहसील-नवागढ़, रा.नि.मं.-मारो की तालिका के स.क्र. 39 ग्रा.पं.-नवागांव को विलोपित किया जाता है.

17. जिला-रायपुर, तहसील-तिल्दा, रा.नि.मं.-खरोरा की तालिका के स.क्र. 8 ग्रा.पं.-रायखैड़ा, को विलोपित करते हुए स.क्र. 35 ग्रा.पं.-रायखैड़ा में निम्नानुसार उसके सम्मुख दर्शित फसल के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्रा.पं. (2)	गेहूं (सिं) (3)	गेहूं (असिं) (4)	चना (5)	अलसी (6)	सरसों (7)	आलू (8)	तिवड़ा (9)
35	रायखैड़ा	√	—	—	—	—	—	√

18. जिला-रायपुर, तहसील-तिल्दा, रा.नि.मं.-खरोरा की तालिका के स.क्र. 41 ग्रा.पं.-गनियारी को विलोपित किया जाता है.

19. जिला-रायपुर, तहसील-तिल्दा, रा.नि.मं.-तिल्दा की तालिका के स.क्र. 33 ग्रा.पं.-भुरसुदा को विलोपित किया जाता है तथा स.क्र. 12 ग्रा.पं.-भुरसुदा में उसके सम्मुख निम्नानुसार दर्शित फसल के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है.

क्र. (1)	ग्रा.पं. (2)	गेहूं (सिं) (3)	गेहूं (असिं) (4)	चना (5)	अलसी (6)	सरसों (7)	आलू (8)	तिवड़ा (9)
12	भुरसुदा	√	—	√	—	—	—	√

नया रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक/9147/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1633/डी-15/116/भाग-2/2004/14-2, दिनांक 25 फरवरी, 2017 में संशोधन करते हुये, इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15/3/99/14-3, दिनांक 15 मार्च, 2000 में आंशिक संशोधन करती है तथा मंडी क्षेत्र में राज्य के बाहर से लाई गई ऐसी अधिसूचित कृषि उपज (आयातित सामग्री) पर प्रत्येक 100 रुपये पर रुपये 0.50 (पचास पैसे) की दर से, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक के लिये, मंडी शुल्क नियत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक/9147/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/9147/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 दिनांक 06-12-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 6th December 2017

No. 9147/D-15/116/part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, amends this department's Notification No. 1633/D-15/116/part-2/2004/14-2, dated 25th February, 2017 and by partly amending this department's notification No. D-15/3/99/14-3, dated 15th March, 2000 and fix the market fees at the rate of Rs. 0.50 (fifty paise) per 100 Rupees on such notified agriculture produce brought out side the State (imported commodities) to the markets area from 01st April, 2016 to 31st March, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2017

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 1-27/2003/(6) 52.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07-09-2007 जिसके द्वारा हाथकरघा प्रभाग में कार्यकारी एवं तकनीकी पदों का विभाजन किया गया था, को राज्य शासन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. फलस्वरूप विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-28/2002/(6) 52, दिनांक 23-11-2002 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 28-09-2004 यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 11-13/2017/मबावि/50.— राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन के शर्त पर 5 वर्ष के लिए पंजीकृत करता है :—

क्र.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	पता	जिले का नाम	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	स्वीकृत क्षमता		पंजीयन क्रमांक
					बालक	बालिका	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान.	5 बंगला, दिव्यांग आवासीय विद्यालय परिसर, चरमुडियॉ, पो.कुरूद, धमतरी (छ.ग.).	धमतरी	बालगृह (बालक)	25	—	02/DMTR/16-17
2.	अर्श ज्योति गुरुकुल आश्रम कोसरंगी.	ग्राम कोसरंगी, पोस्ट पचेड़ा, जिला महासमुन्द.	महासमुंद	बालगृह (बालक)	25	—	01/MSMD/16-17
3.	श्री कृष्ण अग्रवाल सेवाकेन्द्र.	ग्राम बिहाझर पोस्ट बागबाहरा जिला-महासमुंद.	महासमुंद	बालगृह (बालक)	50	—	02/MSMD/16-17
4.	तृप्ति समाज सेवी संस्था.	बी.टी.आई रोड, स्टेट बैंक के पास, नाबार्ड बैंक गली, महासमुंद.	महासमुंद	दत्तक ग्रहण एजेन्सी	10	4	03/MSMD/16-17
5.	शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह.	माना कैम्प, रायपुर	रायपुर	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	100	—	01/RPR/16-17
6.	शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी	माना कैम्प, रायपुर	रायपुर	प्लेस ऑफ सेफ्टी (बालक)	50	—	02/RPR/16-17
7.	शासकीय बालगृह	माना कैम्प, रायपुर	रायपुर	बालगृह (बालिका)	—	50	03/RPR/16-17
8.	शासकीय बाल गृह	माना कैम्प, रायपुर	रायपुर	बालगृह (बालक)	50	—	04/RPR/16-17
9.	दारुल उलूम ख्वाजा रहमतुल्लाह नाईवे रसूल.	खुटेरी, राष्ट्रीय स्टेडियम के सामने, न्यू रायपुर.	रायपुर	बालगृह (बालक)	50	—	05/RPR/16-17
10.	समर्पित-गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक अनुसंधान केन्द्र.	बाघरटोना, तपकरा, प्राथमिक शाला के पास जशपुर.	जशपुर	बालगृह (बालक)	50	—	01/JSPR/16-17
11.	समर्पित-गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक अनुसंधान केन्द्र.	विष्णु बागान, म.ल.बा. कन्या शाला के पास जशपुर.	जशपुर	बालगृह (बालिका)	—	50	02/JSPR/16-17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.	सार्वजनिक विकास वाहिनी.	संगम चौक, तिवारी कालोनी, दरबारी टोला, जशुपर.	जशपुर	दत्तक ग्रहण एजेंसी	10		03/JSP/16-17
13.	सार्वजनिक विकास वाहिनी.	संगम चौक, तिवारी कालोनी, दरबारी टोला, जशुपर.	जशपुर	खुला आश्रय गृह (बालिका)	—	25	04/JSPR/16-17
14.	मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद.	एन.एच.बी.टी.संस्थान, तल्वापारा, कृषि महाविद्यालय के पीछे, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया.	कोरिया	बालगृह (बालक)	50	—	04/KORIA/16-17
15.	सन्मार्ग शिक्षा समिति.	राघवपुरी, वृद्धाश्रम के बगल में, अजिरमा, अम्बिकापुर.	सरगुजा	बालगृह (बालक)	50	—	01/SRG/16-17
16.	मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद.	सरस्वती कुंज, दर्रीपार, अम्बिकापुर, सरगुजा.	सरगुजा	बालगृह (बालिका)	—	50	02/SRG/16-17
17.	शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह.	कन्या परसिर रोड, नमनाकला, अम्बिकापुर	सरगुजा	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	50	—	05/SRG/16-17
18.	सृजन सामाजिक संस्था	सांई कालोनी, अटल आवास के पास, जगदलपुर.	बस्तर	बालगृह (बालिका)	—	50	01/BSTR/16-17
19.	बस्तर सामाजिक जन विकास समिति.	मिशन ग्राउड, लाल चर्च मैदान के अन्दर, जगदलपुर बस्तर.	बस्तर	खुला आश्रय गृह (बालक)	25	—	02/BSTR/16-17
20.	शासकीय सम्प्रेक्षण गृह.	वृदांवन कॉलोनी, जगदलपुर बस्तर.	बस्तर	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	50	—	03/BSTR/16-17
21.	शासकीय बाल गृह.	वृदांवन कॉलोनी, जगदलपुर, बस्तर.	बस्तर	बाल गृह (बालक)	50	—	04/BSTR/16-17
22.	देवी गायत्री शिक्षण समिति.	ग्राम तितिरगांव, तह.-जगदलपुर,	बस्तर	बालगृह (बालक)	25	—	05/BSTR/16-17
23.	बस्तर सामाजिक जन विकास समिति	जी.ए.डी. कालोनी, आयुशा होम्स, आवांराभाटा, जिला दन्तेवाड़ा.	दन्तेवाड़ा	दत्तक ग्रहण एजेन्सी	10		01/DNTWD/16-17
24.	टूमारोज फाउंडेशन	पोटा केबिन के बाजू में, कारली, दन्तेवाड़ा.	दन्तेवाड़ा	बालगृह (बालिका)	—	100	02/DNTWD/16-17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25.	प्रेरित सेवा मण्डली	वार्ड क्र. 01, छन्नूपारा, बड़े बचेली, तह. जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा.	दन्तेवाड़ा	बालगृह (बालक)	25	—	03/DNTWD/16-17
26.	सृजन सामाजिक संस्थान.	देवांगन कालोनी दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	बालगृह (बालक)	50	—	04/DNTWD/16-17
27.	अर्पण कल्याण समिति.	12 सुरभी कालोनी, दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	खुला आश्रय गृह (बालक)	25	—	05/DNTWD/16-17
28.	टूमारोज फाउन्डेशन	पुराना जनपद पंचायत भवन, सांस्कृतिक भवन के पास, मिनी स्टेडियम, बीजापुर.	बीजापुर	बालगृह (बालक)	50	—	01/BJPR/16-17
29.	सोशल प्रोग्रेस इन रूरल ईकोनॉमिक एकेडिमिक सोसायटी	संजयपारा, भैरमगढ़, बीजापुर	बीजापुर	बालगृह (बालक) (हाउस ऑफ होप)	25	—	02/BJPR/16-17
30.	छ.ग. समाज संरक्षण एवं विकास समिति.	ग्राम+पोस्ट कुटरू, विकासखंड भैरमगढ़ जिला बिजापुर.	बीजापुर	बालगृह (बालिका) (पंचशील)	—	50	03/BJPR/16-17
31.	छ.ग. समाज संरक्षण एवं विकास समिति.	ग्राम+पोस्ट कुटरू, विकासखंड भैरमगढ़ जिला बीजापुर.	बीजापुर	बालगृह (बालक) (पंचशील)	50	—	04/BJPR/16-17
32.	शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह.	पंजरी प्लांट, रायगढ़	रायगढ़	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	50	0	01/RIG/16-17
33.	श्री चक्रधर बाल सदन.	हण्डी चौक रायगढ़	रायगढ़	बालगृह (बालिका)	—	75	06/RIG/16-17
34.	हेल्प एण्ड हेल्प समिति.	पुष्प वाटिका के पास, पुराना सिंचाई कालोनी, वार्ड नं. 18, जांजगीर-चांपा.	जांजगीर-चांपा	बालगृह (बालक)	50	—	02/JC/16-17
35.	भारतीय कुष्ठ निवारक संघ.	कात्रेनगर चांपा	जांजगीर-चांपा	बालगृह (बालक) (सुशील बाल गृह)	50	—	01/JC/16-17
36.	शासकीय बाल गृह.	पांच बिल्डिंग, वन परिसर दुर्ग (छ.ग.).	दुर्ग	बालगृह (बालक)	50	—	02/DURG/16-17
37.	शाकसीय प्लेस ऑफ सेफ्टी.	गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग	दुर्ग	प्लेस ऑफ सेफ्टी (बालक)	50	—	03/DURG/16-17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38.	शासकीय विशेष गृह.	गोकुल नगर पुलगांव, दुर्ग	दुर्ग	विषेष गृह (बालक)	50	—	04/DURG/16-17
39.	शासकीय सम्प्रेक्षण गृह.	गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग	दुर्ग	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	50	—	05/DURG/16-17
40.	शासकीय बालगृह	नूतन कॉलोनी चौक, सरकंडा, बिलासपुर.	बिलासपुर	बालगृह (बालिका)	—	50	02/BSP/16-17
41.	शासकीय सम्प्रेक्षण गृह.	नूतन कॉलोनी चौक, सरकंडा, बिलासपुर.	बिलासपुर	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	100	—	03/BSP/16-17
42.	समर्पित-गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक अनुसंधान केन्द्र.	देव नगर, अमेरी रोड यदुनंदन नगर बिलासपुर.	बिलासपुर	खुला आश्रय गृह (बालक)	25	—	06/BSP/16-17
43.	सुमति सामुदायिक विकास संस्था.	आईटीआई चौक, बालाजी मंदिर के पास, ओम फ्लेट के पीछे कोरबा.	कोरबा	बालगृह (बालिका)	—	50	01/KRBA/16-17
44.	सोशल रिवीवल ग्रुप ऑफ अर्बन, रूरल एंड ट्रायवल.	म. नं.-एफ-13, सिंचाई कॉलोनी, चौक, पोस्ट-जमनीपाली, कोरबा.	कोरबा	बालगृह (बालक)	50	—	02/KRBA/16-17
45.	हेल्प एण्ड हेल्प समिति.	तिवारी फार्म हाउस, दादर खुर्द, मानिकपुर रोड, कोरबा.	कोरबा	खुला आश्रय गृह (बालक)	25	—	03/KRBA/16-17
46.	शासकीय सम्प्रेक्षण गृह.	नया ढाबा, राजनांदगांव	राजनांदगांव	सम्प्रेक्षण गृह (बालिका)	—	25	01/RJND/16-17
47.	शासकीय विशेष गृह	नया ढाबा, राजनांदगांव	राजनांदगांव	विशेष गृह (बालिका)	—	25	03/RJND/16-17
48.	मां भगवती वात्सल्य निकेतन.	कंचन बाग राजनांदगांव	राजनांदगांव	बालगृह (बालक)	50	—	03/RJND/16-17
49.	सृजन सामाजिक संस्था.	ममता नगर, गली नं. 05, पंचशील कालोनी, राजनांदगांव.	राजनांदगांव	बालगृह (बालिका)	—	50	04/RJND/16-17
50.	शासकीय बाल गृह	शिक्षक कालोनी, कवर्धा	कबीरधाम	बालगृह (बालक)	50	—	01/KWRD/16-17
51.	स्नेह सर्वोदय सेवा संस्था.	वार्ड नं.-8, शिक्षक कॉलोनी, महिन्द्रा भवन के सामने, कवर्धा.	कबीरधाम	दत्तक ग्रहण एजेंसी	10		02/KWRD/16-17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52.	सूरज विकास संस्थान	पुराना कॉलेज, एसपी कार्यालय के पास कोण्डागांव.	कोण्डागांव	बालगृह (बालक)	50	—	01/KDGO/16-17
53.	रामकृष्ण मिशन आश्रम	नारायणपुर	नारायणपुर	बालगृह (बालक)	100	—	01/NRYNP/16-17
54.	रामकृष्ण मिशन आश्रम	नारायणपुर	नारायणपुर	बालगृह (बालिका)	—	50	02/NRYNP/16-17

यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पांच वर्षों के लिए वैध होगा.

संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2017

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 7-06/2017/32.—इस विभाग की रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) में उपांतरण संबंधी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 जुलाई, 2017 जो छत्तीसगढ़ राजपत्र 28 जुलाई, 2017 में प्रकाशित हुई है, में जहां-जहां अंक “2031” अंकित है के स्थान पर “2021” पढ़ा जाये.

नया रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 7-30/2017/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला राजनांदगांव के मुरमुंदा निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

प्रारूप-1
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/776/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	छातामौहा प.ह.नं. 51	1.57 हे.	लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु पूरक भू-अर्जन प्रकरण ग्राम छातामौहा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 13-12-2017 को समय 11.00 से स्थान ग्राम पंचायत छातामौहा में नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 1 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. एनीकट योजना की कुल लागत — रु. 91.83 करोड़
9. एनीकट योजना से होने वाला लाभ — लोवर जोंक बैराज परियोजना से 15 ग्राम की 1980 हे. में खरीफ फसल के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित समााजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा को राशि रु. .... का भुगतान चेक क्र. .... के द्वारा कलेक्टर महासमुन्द के पास माध्यम से जमा किया गया है.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

प्रारूप-1

(नियम 11 देखें)

क्रमांक/780/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	सागुनढांप टुकड़ा प.ह.नं. 45	4.18 हे.	लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु पूरक भू-अर्जन प्रकरण ग्राम सागुनढांप टुकड़ा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 15-12-2017 को समय 11.00 से स्थान ग्राम पंचायत सागुनढांप में नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	6 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	एनीकट योजना की कुल लागत	—	रु. 91.83 करोड़
9.	एनीकट योजना से होने वाला लाभ	—	लोवर जोंक बैराज परियोजना से 15 ग्राम की 1980 हे. में खरीफ फसल के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित समाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा को राशि रु. .... का भुगतान चेक क्र. .... के द्वारा कलेक्टर महासमुन्द के पास माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

प्रारूप–1

(नियम 11 देखें)

क्रमांक/784/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	सागुनढांप टुकड़ा राजाकटेल प.ह.नं. 46	8.28 हे.	लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु पूरक भू-अर्जन प्रकरण ग्राम सागुनढांप टुकड़ा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 19-12-2017 को समय 11.00 से स्थान ग्राम पंचायत सागुनढांप में नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 26 परिवार

3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.

7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां

8. एनीकट योजना की कुल लागत — रु. 91.83 करोड़

9. एनीकट योजना से होने वाला लाभ — लोवर जोंक बैराज परियोजना से 15 ग्राम की 1980 हे. में खरीफ फसल के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.

10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित समााजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा को राशि रु. .... का भुगतान चेक क्र. .... के द्वारा कलेक्टर महासमुन्द के पास माध्यम से जमा किया गया है.

11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

प्रारूप–1

(नियम 11 देखें)

क्रमांक/788/भू–अर्जन/2017.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	माटीदरहा प.ह.नं. 45	4.26 हे.	लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु पूरक भू–अर्जन प्रकरण ग्राम माटीदरहा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 21–12–2017 को समय 11.00 से स्थान ग्राम पंचायत माटीदरहा में नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि भू–अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 20 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. एनीकट योजना की कुल लागत — रु. 91.83 करोड़
9. एनीकट योजना से होने वाला लाभ — लोवर जोंक बैराज परियोजना से 15 ग्राम की 1980 हे. में खरीफ फसल के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित समाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा को राशि रु. .... का भुगतान चेक क्र. .... के द्वारा कलेक्टर महासमुन्द के पास माध्यम से जमा किया गया है.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि भू–अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

प्रारूप–1
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/792/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	परसवानी प.ह.नं. 52	0.87 हे.	लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु पूरक भू-अर्जन प्रकरण ग्राम परसवानी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23-12-2017 को समय 11.00 से स्थान ग्राम पंचायत परसवानी में नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 3 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. एनीकट योजना की कुल लागत — रु. 91.83 करोड़
9. एनीकट योजना से होने वाला लाभ — लोवर जोंक बैराज परियोजना से 15 ग्राम की 1980 हे. में खरीफ फसल के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित समााजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा को राशि रु. .... का भुगतान चेक क्र. .... के द्वारा कलेक्टर महासमुन्द के पास माध्यम से जमा किया गया है.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्रमांक 14/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	गोकुलपुर प.ह.नं. 29	8.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्रमांक 15/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	कपसिया कला प.ह.नं. 19	0.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्रमांक 16/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	गौबंद प.ह.नं. 54	3.43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्रमांक 17/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	खरगहना प.ह.नं. 52	11.28	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्रमांक 18/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बेलटुकरी प.ह.नं. 22	5.42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्रमांक 19/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	कपसिया खुर्द प.ह.नं. 19	7.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्रमांक 20/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	दर्रीकापा प.ह.नं. 19	2.29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्रमांक 21/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	खम्हरिया प.ह.नं. 24	27.99	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्रमांक 22/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	कुंवा प.ह.नं. 29	9.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्रमांक 23/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	जोंकी प.ह.नं. 44	8.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 30 नवम्बर 2017

क्रमांक/3519/01 अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-मक्के, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.197 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	32/3	0.045
	74/2	0.008
	30/2	0.077
	29/2	0.041
	30/1	0.109
	23/2	0.097
	23/1	0.045
	23/5	0.085
	19	0.073 (सेवा भूमि)
	20/2	0.069
	17	0.069
	15/7	0.036
	15/6	0.036
	16/2	0.032
	16/1	0.057
	32/2	0.053
	31/4	0.028
	31/1	0.021
	79	0.036
	74/1	0.012
	85/2	0.036
	98	0.930 (घास)
	231/1, 231/2	0.202 (घास)
योग	13	2.197

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मक्के से सेमो पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 नवम्बर 2017

क्रमांक/3519/02 अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-सेमो, प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.161 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135/1	0.137 (घास)
136	0.024 (घास)
142	0.081 (सेवा भूमि)
157	0.178 (सेवा भूमि)
143, 144/2	0.069
144/1	0.024 (घास)
145	0.049
146	0.041
147	0.065

	(1)	(2)
	148/4, 149/4	0.012
	158/2	0.194
	155/3	0.012
	173	0.275 (घास)
योग	13	1.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मक्के से सेमो पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है,

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार बनसोड़, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, सूरजपुर (भू-अभिलेख शाखा), सूरजपुर छ.ग.

सूरजपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2017

क्रमांक/2014/स.अ.भू.अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2017.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के. सी. देव सेनापति, कलेक्टर जिला सूरजपुर एतद्द्वारा तहसील सूरजपुर के हल्का क्रमांक 6, 8, 24, 51 को विघटित करते हुए हल्कों का पुनर्गठन निम्नसूची में दर्शाए अनुसार करता हूं.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.म. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	हल्के में सम्मिलित ग्राम का नाम	खातों की संख्या	खसरा प्रविष्टियों की संख्या	मकबूजा रकबा	गैर मकबूजा रकबा	कुल क्षेत्रफल	जनसंख्या	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	सूरजपुर	सूरजपुर	पर्री-06	पर्री	442	1865	410	67	477	1966	पर्री
2.	सूरजपुर	सूरजपुर	सूरजपुर-08	सूरजपुर	1229	4678	589	107	696	226975	न.क्षेत्र
3.	सूरजपुर	पिलखा	शिवनंदनपुर-24	शिवनंदनपुर	658	1785	132	332	464	6567	शिवनंदनपुर
4.	सूरजपुर	-,,-	अजिरमा-51	अजिरमा	235	1058	316	212	528	3248	अजिरमा
	सूरजपुर	-,,-	-,,-	भगवानपुर-खुर्द	170	401	128	28	156	824	भगवानपुर-खुर्द
5.	सूरजपुर	पिलखा	महाबीरपुर-53	महाबीरपुर	92	318	102	34	136	888	महाबीरपुर
	सूरजपुर	-,,-	-,,-	संजयनगर	99	470	191	184	375	1324	महाबीरपुर
6.	सूरजपुर	-,,-	सतपता-54	सतपता	288	1060	232	63	295	3908	सतपता
7.	सूरजपुर	सूरजपुर	महगवां-55	महगांवा	229	1641	222	29	251	1206	महगवां न. क्षेत्र
	सूरजपुर	-,,-	गोपालपुर-56	गोपालपुर	371	1170	177	18	195	1732	न. क्षेत्र
8.	सूरजपुर	-,,-	मानपुर-57	मानपुर	298	1192	203	35	236	2498	न. क्षेत्र

सूरजपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2017

क्रमांक/2015/स.अ.भू.अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2017.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के. सी. देव सेनापति, कलेक्टर जिला सूरजपुर एतद्द्वारा तहसील प्रतापपुर के हल्का क्रमांक 20, 34 को विघटित करते हुए हल्कों का पुनर्गठन निम्नसूची में दर्शाए अनुसार करता हूं.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.म. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	हल्के में सम्मिलित ग्राम का नाम	खातों की संख्या	खसरा प्रविष्टियों की संख्या	मकबूजा रकबा	गैर मकबूजा रकबा	कुल क्षेत्रफल	जनसंख्या	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	प्रतापपुर	प्रतापपुर	खजुरी-20	खजुरी	179	998	235	36	271	921	खजुरी
2.	प्रतापपुर	-,,-	-,,-	रामपुर	139	368	113	34	147	456	
3.	प्रतापपुर	-,,-	-,,-	शिवपुर	115	453	87	18	105	375	
4.	प्रतापपुर	-,,-	-,,-	मानी	209	799	258	176	434	1016	मानी
	प्रतापपुर	-,,-	-,,-	रमगवां	135	636	237	148	385	764	
5.	प्रतापपुर	-,,-	बंशीपुर-34	बंशीपुर	652	3261	482	325	807	2206	बंशीपुर
6.	प्रतापपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर-39	प्रतापपुर	135	636	237	148	385	764	न. क्षेत्र
7.	प्रतापपुर	प्रतापपुर	जरही-40	जरही	273	1274	299	137	436	1206	न. क्षेत्र

सूरजपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2017

क्रमांक/2016/स.अ.भू.अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2017.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के. सी. देव सेनापति, कलेक्टर जिला सूरजपुर एतद्द्वारा तहसील प्रेमनगर के हल्का को विघटित करते हुए हल्कों का पुनर्गठन निम्नसूची में दर्शाए अनुसार करता हूं.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.म. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	हल्के में सम्मिलित ग्राम का नाम	खातों की संख्या	खसरा प्रविष्टियों की संख्या	मकबूजा रकबा	गैर मकबूजा रकबा	कुल क्षेत्रफल	जनसंख्या	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	प्रेमनगर	प्रेमनगर	रघुनाथपुर-13	रघुनाथपुर	435	1641	406	144	550	1837	रघुनाथपुर
2.	प्रेमनगर	प्रेमनगर	प्रेमनगर-18	प्रेमनगर	903	3221	895	311	1206	4225	न. क्षेत्र

सूरजपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2017

क्रमांक/2017/स.अ.भू.अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2017.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के. सी. देव सेनापति, कलेक्टर जिला सूरजपुर एतद्द्वारा तहसील भैयाथान के हल्का क्रमांक 27को विघटित करते हुए हल्कों का पुनर्गठन निम्नसूची में दर्शाए अनुसार करता हूं.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.म. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	हल्के में सम्मिलित ग्राम का नाम	खातों की संख्या	खसरा प्रविष्टियों की संख्या	मकबूजा रकबा	गैर मकबूजा रकबा	कुल क्षेत्रफल	जनसंख्या	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	भैयाथान	भटगांव	तेलगवां-27	तेलगवां	353	1644	397	262	659	946	रघुनाथपुर
2.	भैयाथान	भटगांव	भटगांव-32	भटगांव	360	1213	801	77	878	11093	न. क्षेत्र

के. सी. देव सेनापति,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2017

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक 2354/494/अका./स्था./2017-18.—Certified that we have the forenoon/afternoon of this day respectively made over and received charge of the office of Additional Chief Secretary, Director General, Chhattisgarh Academy of Administration in pursuance of order (C.G. G.A.D.) ई-1-8/2017/1/2, dated 14-11-2017 and that the officer receiving charge traveled during joining time on 14-11-2017 afternoon.

डॉ. सुनीता राय,
उप-संचालक.

कार्यालय कलेक्टर, जिला मुंगेली (छ.ग.)

मुंगेली, दिनांक 30 दिसम्बर 2017

क्रमांक/7983/व.लि./2017.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो अनुक्रमांक-4 के नियम 8 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एन.एन. एक्का कलेक्टर जिला मुंगेली छ.ग. वर्ष 2018 हेतु मुंगेली जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहार के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्र.	पर्व/त्यौहार का नाम	तिथि/माह	दिन	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गणेश चतुर्थी	13 सितम्बर 2018	गुरूवार	सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	महानवमी (दशहरा)	18 अक्टूबर 2018	गुरूवार	सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये
3.	दीपावली का दूसरा दिन	08 नवम्बर 2018	गुरूवार	सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये

एन. एन. एक्का,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20313/स्थापना/2017.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो क्रमांक-चार की कंडिका-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. एस. भारती दासन, कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. वर्ष 2018 के लिये जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग. हेतु नीचे दर्शायी गई तारीखों को पूरे दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगैरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भाई-दूज	03 मार्च	फाल्गुन 12, 1939	शनिवार
2.	गणेश चतुर्थी	13 सितम्बर	भाद्रपद 22, 1940	गुरूवार
3.	दीपावली का दूसरा दिन	08 नवम्बर	कार्तिक 17, 1940	गुरूवार

डॉ. एस. भारती दासन,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th December 2017

No. 1266/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The following Senior Civil Judge, as specified in Column No. (2) of the table below is, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is appointed as Civil Judge Class-I-cum-Additional Chief Judicial Magistrate for the Revenue District Mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No.	Name & presently posted as	From	To	Revenue District	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, II Civil Judge Class-I.	Janjgir	Dongargarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-1 & A.C.J.M.

Note :— The above officer is entitled to the pay-scale mentioned in Rule 3 (2) (b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 only after appraisal of the work and performance by the High Court.

Bilaspur, the 12th December 2017

No. 1267/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The following Senior Civil Judge, as specified in Column No. (2) of the table below are hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assumes charge of their offices ;—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sumit Kapoor, II Civil Judge Class-I.	Korba	Raipur	Raipur	III Civil Judge Class-I
2.	Shri Awadh Kishore, Civil Judge Class-I.	Kunkuri	Raipur	Raipur	IV Civil Judge Class-I
3.	Shri Abhishek Sharma, Deputy Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority.	Bilaspur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	III Civil Judge Class-I
4.	Shri Damrudhar Chouhan, Civil Judge Class-I.	Dongargarh	Kunkuri	Jashpur	Civil Judge Class-I

Bilaspur, the 12th December 2017

No. 1269/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The following Civil Judges (Entry Level) as mentioned in Column No. (2) of the table below, are hereby promoted and appointed to the post of Senior Civil Judge and consequently are transferred from the place, as specified in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Amit Jindal, Civil Judge Class-II.	Bacheli	Janjgir	Janjgir-Champa	II Civil Judge Class-I
2.	Ku. Parul Shrivastava, Civil Judge Class-II.	Kharsiya	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	II Civil Judge Class-I
3.	Shri Sarv Vijay Agrawal, VI Civil Judge Class-II & Special Railway Magistrate.	Raipur	Raipur	Raipur	V Civil Judge Class-I & Special Railway Magistrate.
4.	Shri Tajuddin Asif, II Civil Jude Class-II.	Bilapsur	Bilaspur	Bilaspur	III Civil Judge Class-I
5.	Smt. Ganga Patel, Civil Judge Class-II.	Pali	Bilaspur	Bilaspur	I Addi. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Shri Dular Singh, Civil Judge Class-II.	Bagicha	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	II Civil Judge Class-I
7.	Shri Harendra Singh Nag, V Civil Judge Class-II.	Raipur	Durg	Durg	I Addi. Judge to the Court of I Civil judge Class-I.
8.	Ku. Shruti Shukla, IV Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	II Addi. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.
9.	Shri Om Prakash Sahu, Civil Judge Class-II.	Rajpur	Surajpur	Surajpur	III Civil Judge Class-I
10.	Shri Gitesh Kumar Kaushik, Civil Judge Class-II.	Deobhog	Korba	Korba	II Civil Judge Class-I
11.	Smt. Seema Chandrakar, Civil Judge Class-II.	Dallirajhara	Korba	Korba	Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.
12.	Shri Diamond Kumar Gilhare, Civil Judge Class-II.	Janakpur	Durg	Durg	II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.
13.	Shri Dheerendra Pratap Singh Dangi, V Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	II Civil Judge Class-I
14.	Shri Sameer Kujur, Civil Judge Class-II.	Pandariya	Pandariya	Kabirdham (Kawardha)	Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Kawardha at Pandariya.
15.	Shri Janak Kumar Hidko, I Civil Judge Class-II.	Dantewara	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Addi. Judge to the Court of Civil Judge Class-I.
16.	Smt. Priyanka Agrawal, VIII Civil Judge Class-II.	Raipur	Raipur	Raipur	I Addi. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.
17.	Shri Hemant Kumar Ratre, X Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Mahasamund	Mahasamund	III Civil Judge Class-I
18.	Smt. Archana Bhaskar, VI Civil Judge Class-II.	Durg	Durg	Durg	III Addi. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.

Bilaspur, the 12th December 2017

No. 1271/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The following Civil Judges (Entry Level) as mentioned in Column No. (2) of the table below, who are working on deputation as mentioned in Column No. (3), are hereby pormoted and

appointed on the post of Senior Civil Judge on proforma basis, from the date they assume charge of their posts :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Posted on deputation as (3)
1.	Shri Vivek Garg	Secretary, District Legal Services Authority, Raigarh.
2.	Shri Harish Chandra Mishra	Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, stationed at New Delhi.
3.	Smt. Shweta Shrivastava	Under Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur.
4.	Ku. Sweta	Secretary, District Legal Services Authority, Jagdalpur
5.	Shri Umesh Kumar Upadhyay	Secretary, District Legal Services Authority, Raipur
6.	Shri Devendra Sahu	Secretary, District Legal Services Authority, Baloda-Bazar.
7.	Shri Janardan Khare	Law Officer, Chhattisgarh Human Rights Commission, Raipur.
8.	Shri Gerjesh Pratap Singh	Secretary, District Legal Services Authority, Dhamtari

Bilaspur, the 12th December 2017

No. 1273/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Devashish Thakur, IV Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Bacheli	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-II
2.	Ku. Tanushree Gavel, I Civil Judge Class-II.	Durg	Kharsiya	Raigarh	Civil Judge Class-II
3.	Shri Bhagwan Das Panika, IV Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Durg	Pali	Korba	Civil Judge Class-II
4.	Shri Lokesh Kumar, II Civil Judge Class-II.	Raipur	Bagicha	Jashpur	Civil Judge Class-II
5.	Shri Gulapan Ram Yadav, III Civil Judge Class-II.	Raipur	Raipur	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Ku. Khileshwari Sinha, IX Civil Judge Class-II.	Durg	Deobhog	Gariaband	Civil Judge Class-II
7.	Ku. Jasvinder Kaur Ajmani, III Civil Judge Class-II.	Durg	Dallirajhara	Balod	Civil Judge Class-II
8.	Shri Satyanand Prasad, XI Civil Judge Class-II.	Raipur	Janakpur	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-II
9.	Shri Niraj Shrivastava, II Civil Judge Class-II.	Dantewara	Raipur	Raipur	II Civil Judge Class-II
10.	Shri Lokesh Patle, II Civil Judge Class-II.	Janjgir	Durg	Durg	IX Civil Judge Class-II
11.	Ku. Manjusha Toppo, I Civil Judge Class-II.	Janjgir	Raipur	Raipur	III Civil Judge Class-II
12.	Smt. Deepti Barwa, VI Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Durg	Durg	I Civil Judge Class-II
13.	Smt. Sheelu Kesary, V Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Korba	Korba	Civil Judge Class-II
14.	Ku. Swarnlata Rajmani, III Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Durg	Durg	III Civil Judge Class-II.
15.	Ku. Namrata Norge, II Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Raipur	Raipur	XI Civil Judge Class-II

By order of the High Court,
GAUTAM CHOURADIYA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक 261/दो-2-17/2015.—श्री बलराम प्रसाद वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक 262/दो-3-2/2009.—श्री जयदीप विजय निमोणकर, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक 263/दो-3-35/2007.—श्री रमाशंकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक 264/दो-3-4/2014.—श्री हेमन्त सराफ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक 265/दो-3-43/2007.—श्री राजेन्द्र प्रधान, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बस्तर स्थान जगदलपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 10-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक 266/दो-3-4/2008.—श्री नीलम चंद सांखला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक 267/दो-3-26/2014.—श्री शहाबुद्दीन कुरैशी, सेन्ट्रल प्रोजेक्ट कोऑडिनेटर, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक 268/दो-2-14/2015.—श्री सुधीर कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक 269/दो-3-14/2003.—श्री राकेश बिहारी घोरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक 270/दो-3-13/2007.—श्री नूरदीन तिगाला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 10-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्रमांक 271/दो-3-2/2006.—श्री अरविन्द कुमार वर्मा, न्यायाधीश, कामर्शियल कोर्ट (जिला स्तर), रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-10-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

क्रमांक 277/दो-3-14/2008.—श्री कंवर लाल चरयाणी, निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

क्रमांक 278/दो-3-4/2014.—श्री हेमन्त सराफ, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), राजनांदगांव वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

क्रमांक 279/दो-3-13/2008.—श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 25-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

क्रमांक 280/दो-2-24/2015.—श्री वेनसेस्लास टोप्पो, एडिशनल रजिस्ट्रार (क्लासिफिकेशन), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 25-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

क्रमांक 281/दो-2-15/2007.—श्रीमती विमला सिंह कपूर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 28-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, बजट अधिकारी.